

डाक व्यवस्था की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 99]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2001—ज्येष्ठ 2, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-49/2001/वा.क./पांच (15).—छत्तीसगढ़ आवकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18 की उपधारा 1 के खण्ड (ब) व सहपठित धारा 62 की उपधारा (1) एवं (2) के खण्ड (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतदद्वारा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुद्र, धमतरी राजस्व जिलों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु धारा 62 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये अनुसार पूर्व प्रकाशन पश्चात निम्नलिखित नियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(एक) ये नियम छत्तीसगढ़ आबकारी (निला रायपुर, दुर्ग, राजनाड्हाँव, महासमुंद व धमतरी में) विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुचापनों के व्यवस्थापन नियम 2001 के जायेंगे।

(दो) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- जब तक विषय या संदर्भ से कोई बात विवर न हो, इन नियमों में-
(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय पर यथा संरेखित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) से है।

(ख) "विदेशी शराब" का तात्पर्य और इसमें भारत में आयात की गई स्पिट या मदिरा अथवा भारत में बनाई गई इस प्रकार परिष्कृत या रेजिन लिप्ट्र या मदिरा, जिससे कि वह सुगंध और रंग में भारत में आयातित मदिरा के सदृश्य मालूम हों और उसमें माल्ट, स्प्रिट, लिक्विड, रम ब्राउंडी, जिन, बोबका और मदिरा (लिक्विड्युअर) समिलित हैं।

(ग) "आबकारी वर्ष" का तात्पर्य एक अपैल से प्रारंभ होकर कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष से है।

(घ) "परिवार" का तात्पर्य दस्तानि (पति या पत्नी) अवस्थक पुत्र, अविवाहित पुत्रिया और इसमें आश्रित माता-पिता सम्मिलित हैं।

(ङ) "प्रपत्र" का तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रपत्र से है।

(च) "लाइसेंस प्राप्तिकारी" का तात्पर्य जिन्हें कलेक्टर से है।

(छ) "लाइसेंस फीस" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 62 की उपचारा (2) के खण्ड (2) के खण्ड (ज) के अधीन फुटकर बिक्री की दुकान से देशी शराब की बिक्री के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिये राज्य सरकार के परामर्श से आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर संपूर्ण आबकारी वर्ष या उसके भाग के लिये लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रतिफल के रूप में ली जाने वाली नियत राशि से है। जो इसके नार निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थापना पर आधारित हो कर निर्धारित की जाएगी।

(ज) "न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा" का तात्पर्य आयुक्त द्वारा जारी सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्तिकारी द्वारा यथा निर्धारित और लाइसेंसधारी द्वारा फुटकर बिक्री के प्रयोजनार्थ आबकारी वर्ष के किसी मास में अपनी फुटकर दुकान के लिये उसके द्वारा उतार्ह जाने वाली प्रत्याभूत विदेशी शराब (स्प्रिट एवं माल्ट) की मात्रा से है जो जिन्हें मैं विगत पाच वर्ष में हुए आधिकारी उठाव के आधार पर उसमें आवश्यकतानुसार वृद्धि/कमी करते हुए, किसी विदेशी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित की जाएगी।

(झ) "प्रतिभूति धनराशि" का तात्पर्य वार्षिक मात्रा के 1/12वें भाग पर देय शुल्क के समान धन राशि से है, जो स्प्रिट के लिये रु. 150/- प्रति प्लूफ लीटर की दर से एवं बीयर रु. 10/- प्रति बोतल की दर से गणित की जाएगी, राज्य कोष में व्याज रहित प्रतिभूति के रूप में नगद जमा करना होगा तथा जो राज्य सरकार के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात वापस किये जाने योग्य हैं।

(झ) "वार्षिक मात्रा" का तात्पर्य किसी आबकारी वर्ष में मासवार प्रत्याभूत मात्रा के योग से है :

3. फुटकर बिक्री के लिए अनुचापनों का व्यवस्थापन-

(क) इन नियमों और लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अधीन रहते हुए विदेशी शराब की बिक्री के लिये फुटकर दुकान का निर्दिष्ट निधारित फीस प्राप्तानी द्वारा व्यवस्थापन या पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) परिसर के बाहर उपभोग के लिये मुहरबंध बोतलों में विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस प्रत्र (एफ. एल. 1-घ) में स्वीकृत किया जायेगा।

4. फुटकर बिक्री की दुकानों की संख्या व स्थान के नियरण की शक्ति - राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर नियंत सामान्य या विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अधीन लाइसेंस प्राप्तिकारी द्वारा दुकानों की संख्या निर्धारित की जायेगी। दुकानों की स्थिति, अधिनियम के अधीन निर्मित सामान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रवधानों अनुसार होगा।

5. लाइसेंस की अवधि - लाइसेंस की अवधि एक आबकारी वर्ष अथवा उसके भाग, जिसके लिये लाइसेंस स्वीकृत किया गया है, होगी। लाइसेंस का नवीनीकरण ऐसे नियंत्रण और शर्तों पर किया जा सकता है। जो राज्य सरकार द्वारा विनियोगित किये जायें।

6. लाइसेंस फीस और प्रतिभूति राशि का भुगतान :- वार्षिक लाइसेंस फीस के भुगतान और प्रतिभूति धनराशि के अंग्रेजी रूप में जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे।

7. अनुज्ञापन की स्वीकृति के लिये आवेदन-

(क) नब कभी किसी क्षेत्र या स्थान में नया लाइसेंस स्वीकृत करना प्रस्तावित हो, लाइसेंस प्राधिकारी, देनिक समाचार पत्रों, निनका उस क्षेत्र में परिचालन हो, मैं व्यापक प्रचार के पश्चात, इस निमित आवेदन आमंत्रित करेंगा।

(ख) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की जिनके लाइसेंस की स्वीकृति कलेक्टर द्वारा प्रस्तावित है, की सूची लाइसेंस फिल, प्रतिभूति राशि सहित कलेक्टर के कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिला आबकारी/अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त, के कार्यालय में प्रदर्शित की जायेंगी।

(ग) लाइसेंस के लिये आवेदन इन नियमों के साथ संलग्न विविध प्रारूप में दिये जायेंगे।

(घ) आवेदन प्राप्ति के लिये नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के दिनांक से सात दिन से पूर्व न होगा।

8. आवेदकों के लिये पात्रता की शर्तें- फुटकर विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस के लिये पात्र आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी होंगी, अर्थात्-

(क) भारत का नागरिक हो या भागीदारी फर्म के भागीदार जो भारत के नागरिक हो। दुकानों के आबंटन के पश्चात भागीदारी में कोई परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

(ख) 21 वर्ष की आयु से अधिक हो।

(ग) बकायेदार/काली सूची में समिलित या अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अन्तर्गत आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवरित न किया गया हो।

(घ) निम्नलिखित की पुष्टि में पब्लिक नोटरी द्वारा समन्वय रूप से अधिग्राहणित शपथ पर प्रस्तुत करेंगा अर्थात् (एक) यह कि समय समय पर यथा सशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अधीन निर्मित समान्य प्रयोग के नियमों के नियम (1) के प्रावधानों अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है अथवा किसी पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता है।

(दो) यह कि दुकान के उसके प्रस्तावित परिसर के नियम में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(तीन) यह कि उसका नैतिक चरित्र अच्छा है, और उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उनकी अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी अधिनियम, 1985 अथवा वर्तमान में प्रवृत्त किसी कानून के अंतर्गत अथवा किसी संबंधी एवं गैर जनानी अपराध में दर्जित नहीं किया गया है।

(चार) यह कि अनुज्ञापी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहां का वह निवासी है, के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत करेंगा कि उसका चरित्र अच्छा है एवं उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि या आपराधिक इतिहास नहीं है।

(पांच) यह कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेंगा, जिसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी, जैसा कि उपरोक्त खण्ड तीन में उल्लिखित है या जो किसी संक्रामक या छुआ-छूत रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम आयु का हो या महिला हो।

(छः) यह कि उस पर कोई शासकीय देयता का बकाया नहीं है।

(ज) यह कि जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी किया गया बैंक ह्रास्ट ब्योरोहर धनराशि के रूप में प्रस्तुत करेगा। ब्योरोहर धनराशि आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित की जायेंगी। आवेदन के अनुज्ञापी के रूप में चयन हो जाने पर धरोहर धनराशि को अनुज्ञापन फोस में समायोजित कर लिया जायेगा। अन्य मामलों में चयन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त उसी रूप में आवेदक को लैटा दिया जायेगा।

9. लाइसेंस के लिये जिला स्तरीय समिति- विदेशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों के चयन हेतु एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्-

(एक) जिले का कलेक्टर

(दो) आबकारी आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट आबकारी विभाग का एक राजपत्रि

(तीन) जिले का जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिला स्तरीय सदस्य सचिव सहायक आबकारी आयुक्त

10. लाइसेंसधारी का चयन-

(क) जिला आबकारी/अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त सभी प्राप्त आवेदनों की एक सूची अनुज्ञापन के लिये जिला स्तरीय

(ख) समिति के समक्ष रखे जाने के लिये संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ तैयार करेगा। उक्त समिति आवेदकों की सूची में से अनुज्ञापियों का चयन करेगी। यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये एक से अधिक आवेदकों के मामलों में उपयुक्त पाये गये सभी आवेदकों में से समिति ऐसी दुकान के लिए अनुज्ञापी का चयन सार्वजनिक लाटरी से करेगी। यदि चयनित आवेदक निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं करेगा और विहित औपचारिकतायें पूरी नहीं करेगा या दुकान हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहेगा तो लाइसेंस प्राधिकारी आबंटन को निरस्त कर देगा और दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(ग) यदि किसी विशिष्ट दुकान के लिये कोई आवेदन प्राप्त नहीं होगा या दुकान के लिये कोई अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं पाया जायगा तो लाइसेंस प्राधिकारी दुकान के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(घ) लाइसेंस प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह किसी दुकान अथवा दुकानों हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना करण बताए अस्वीकार कर सकेगा।

11. **व्यवस्थापित की गयी दुकानों का विवरण-** जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त व्यवस्थापन के 15 दिन के अन्दर, व्यवस्थापित की गयी दुकानों का विवरण आबकारी आयुक्त को भेजेगा, जिसमें अनुज्ञापियों के नाम और पते प्रतिभूति धनराशि और लाइसेंस फीस के रूप में जमा की गयी राशि का विवरण होगा।

12. **लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान-** यदि किसी आवेदक का लाइसेंसधारी के रूप में चयन किया जायेगा तो वह अपने चयन की सूचना पाने के तीन दिन के अन्दर संपूर्ण लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि जमा करेगा। यदि वह निर्धारित समय में लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहेगा तो उसका चयन निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में समप्रवृत्त कर ली जायेगी और उक्त दुकान का तत्काल पुनर्व्यवस्थापन कर दिया जायेगा। व्यतिक्रमी को भविष्य में प्रदेश में कहीं भी कोई आबकारी अनुज्ञापन प्राप्त करने से विवर्जित कर दिया जायेगा। इस नियम के अंतर्गत ऐसे व्यतिक्रमी की समेकित सूची उनके पूरे पते सहित सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी आबकारी आयुक्त को भेजी जायेगी, जो राज्य की समेकित सूची को राज्य के सभी लाइसेंस प्राधिकारियों को प्रसारित करेगा।

13. शराब का उठान-

(क) इन नियमों के अधीन लाइसेंसधारी विदेशी शराब के लागत मूल्य का पूर्ण भुगतान जिसके अंतर्गत सभी कर, शुल्क और उपकर जो समय समय उद्ग्रहित किये जायें करने के पश्चात किसी थोक, लाइसेंसधारी से विदेशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करेगा। लाइसेंसधारी मांग पत्र कम से कम 72 घंटे पूर्व में थोक लाइसेंसी को प्रस्तुत करेगा, जिससे वह विदेशी शराब की आपूर्ति प्राप्त करना चाहता है।

(ख) थोक आपूर्तक जिसके पास मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है, प्राप्ति का समय व तिथि अंकित करेगा तथा मांगी गई शराब की मात्रा की आपूर्ति मांग पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अन्दर सुनिश्चित करेगा।

14. मास के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और विफलता के परिणाम-

(क) लाइसेंसधारी उस मास के दौरान संपूर्ण न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने के लिये दायी है। लाइसेंसधारी मूल्य के साथ जिसमें सभी शुल्क, कर और उपकर सम्मिलित है, उस मास के लिये निर्धारित सम्पूर्ण मात्रा के लिये मांग पत्र तैयार करेगा जिसे मास के 25वें दिन तक थोक लाइसेंसधारी को प्रस्तुत करना होगा।

(ख) यदि फुटकर लाइसेंसधारी खण्ड- (क) के अनुसार मांगपत्र प्रस्तुत करने में विफल रहेगा तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल लाइसेंस प्राधिकारी को मामले की आख्या देगा जो निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई प्रत्याभूत मात्रा पर रु. 150/- प्रति पूफ लीटर तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेगे। अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए लाइसेंसधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि अनुज्ञासि क्यों न निरस्त कर दी जाये। यदि अनुज्ञापी निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसका अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत लाइसेंस प्राधिकारी दुकान की पुनर्व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

15. **न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक विदेशी शराब का उठान-** अनुज्ञापी उस मास की न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक मात्रा का उठान करना चाहता है तो जिला आबकारी अधिकारी/सहायक आबकारी आयुक्त की अनुमति से देय अतिरिक्त शुल्क भुगतान करेगा जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय।

16. **न्यूनतम फुटकर मूल्य :** लाइसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से निर्धारित किए गए न्यूनतम

मूल्य से कम मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा.

17. बिक्री की अवधि और दुकानों की बंदी : अनुज्ञापित परिसर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाचन दिवस) होली मुहर्म और लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निश्चित तीन और दिवसों के अतिरिक्त सभी दिवसों पर प्रातः 10 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक बिक्री के लिये खुला रहेगा. लाइसेंस प्राधिकारी कानून और व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के सुसंगत कानूनों के प्रावधानों के अधीन दुकान की बंदी का आदेश दे सकता है. उपरोक्त आधार पर दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा.

18. लाइसेंस की समाप्ति पर बचे अतिशेष स्टाक का निस्तारण- लाइसेंसधारी द्वारा अनुज्ञापन अवधि की समाप्ति पर विदेशी शराब के अतिशेष और अबिक्रित मात्रा की धोषणा लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष अगले दिन की जायेगी. और लायरेंस की समाप्ति के अगले दिवस को 5 बजे शाम तक संबंधित थोक विक्रेता को उसके द्वारा लौटा दी जायेगी. लाइसेंसधारी, केवल क्रय मूल्य जिसमें शुल्क और अन्य कर सम्मिलित नहीं होगा, पाने का हकदार होगा. ऐसे स्टाक का निस्तारण थोक अनुज्ञापी द्वारा उस संबंध में आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुरूप किया जायेगा.

19. अनुज्ञापन का अध्यर्पण- अनुज्ञापी, अधिनियम की धारा 33 के उपबंधों के अधीन अपने अनुज्ञापन का अध्यर्पण लाइसेंस प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है. ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंस प्राधिकारी उसकी जमा प्रतिभूति से समस्त अवशेष आबकारी देयों की वसूली करने की कार्यवाही करेगा और आबकारी आयुक्त का आदेश प्राप्त कर अतिशेष धनराशि वापस करेगा. लाइसेंस प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिये दुकान के पुर्णव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा.

20. अनुज्ञापन का निलम्बन और निरस्तीकरण (1) लाइसेंस प्राधिकारी, अनुज्ञापन को निलम्बित या निरस्त कर सकता है-

- (क) यदि अनुज्ञापित परिसर में कोई बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्प्यक रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में सिक्योरिटी होलोग्राम नहीं लगाया गया है..
- (ख) यदि अनुज्ञापित परिसर में किसी अन्य प्रकार की शराब या मादक औषधि (जिसके लिये अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया गया है.) पाई जाती है.
- (ग) यदि अनुज्ञापी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है.
- (घ) यदि अनुज्ञापी अधिनियम या राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध में या किसी संज्ञेय और गैर जमानती अपराध में या स्वापक औषधियों मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध में दण्डित पाया जाता है.
- (च) यदि कोई बोतल नियम 16 के अधीन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर बेची जाती है.
- (छ) (1) यदि अनुज्ञापी किसी मास के दौरान न्यूनतम माहवार प्रत्याभूत मात्रा उठाने में विफल रहता है और शास्ति अधिरोपण के फलस्वरूप प्रतिभूति राशि में आयी कमी को निर्धारित अवधि में पूरा करने में विफल रहता है.
- (2) ऊपर उल्लिखित आधार पर लाइसेंस प्राधिकारी तत्काल अनुज्ञापन निलम्बित कर देगा और जमा प्रतिभूति को नब्त कर लेगा. लाइसेंस प्राधिकारी अनुज्ञापन को निरस्त करने के लिये कारण बताओ नोटिस भी जारी करेगा और लाइसेंसधारी अपना स्पष्टीकरण नोटिस की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगा. तत्पश्चात लाइसेंस प्राधिकारी लाइसेंसधारी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात, समुचित आदेश परित करेगा.
- (3) लाइसेंसधारी, इस नियम के अधीन अनुज्ञापन के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिये किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा.
- (4) यदि ऊपर लिखित आधार पर अनुज्ञापन निरस्त किया जाय तो लाइसेंसधारी को काली सूची में भी डाला जा सकता है तथा भविष्य में कोई आबकारी लाइसेंस धारण करने से विवर्जित किया जा सकता है.

21. निरसन-

- (1) इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो उनके प्रारंभ से तत्काल पूर्व प्रवृत्त हो; इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।
- परन्तु इस प्रकार निरस्तीकरण होते हुए भी कोई आदेश या कार्यवाही जो विदेशी शराब की दुकान या दुकानों के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिये पहले से की गई हो, विधि मान्य रहेगी।

विदेशी मंदिरा (एफ.एल. 1-घ)

(नियम 3 ख)

दुकान से मुहरबंद बोतलों में विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लाइसेंस.

लाइसेंस संख्या.....	वर्ष.....
मोहल्ला.....	जिला.....
लाइसेंस फीस रुपया.....	(अंकों में).....(शब्दों में)
वार्षिक मात्रा (बल्कि लीटर में).....	
न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा	

क्रम संख्या	मास	न्यूनतम मासवार प्रत्याभूत मात्रा
1.	अप्रैल	
2.	मई	
3.	जून	
4.	जुलाई	
5.	अगस्त	
6.	सितम्बर	
7.	अक्टूबर	
8.	नवम्बर	
9.	दिसम्बर	
10.	जनवरी	
11.	फरवरी	
12.	मार्च	

परिसर का विवरण (चौहादी सहित)

उत्तर.....

दक्षिण.....

पूरब.....

पश्चिम.....

नाम, पिता का नाम एवं लाइसेंसधारक का पते

1. पुत्र..... निवासी.....

2. पुत्र..... निवासी.....

नाम, पिता का नाम और विक्रेताओं के पते

1. पुत्र..... निवासी.....

2. पुत्र..... निवासी.....

3. पुत्र..... निवासी.....

4. पुत्र..... निवासी.....

परिसर के बाहर उपयोग के लिये मानक बवाटी बोतलों, अच्छा और पाव में विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री के लिये लायसेंस. एतद्वारा उपर्युक्त लाइसेंस धारकों को जिला..... के अंतर्गत(स्थान)

.....तहसील के लिये दिनांक..... से 31 मार्च, 20..... हेतु जिसके

लिये नियम-6 के अनुसार लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि जमा कर दी गयी है.

यह लाइसेंस निम्नलिखित सामान्य और विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान किया जाता है, इसमें से किसी का व्यक्तिक्रम करने पर या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 और स्वापक औषधिएवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की विधियों के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध होने पर लाइसेंसधारी सुरक्षित विधियों के अधीन आरोपित किन्हीं शास्तियों के अतिरिक्त अपने लाइसेंस और प्रतिभूति निष्क्रेप का समर्पण किये जाने के लिये दायी होगा.

सामान्य और विशेष शर्तें

1. लायसेंसधारी विदेशी मदिरा थोक लायसेंस धारक (एफ. एल. 10) से विदेशी मदिरा की आपूर्ति को समय समय पर उद्ग्रहणीय समस्त करों, शुल्क, उपकर आदि को सम्मिलित करते हुए मदिरा की कीमत का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात प्राप्त कर सकेगा।
2. लायसेंसधारी आबकारी आयुक्त द्वारा नियम 16 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं लेगा।
3. अनुज्ञापित परिसर पर बिक्री केवल परिसर के बाहर उपभोग के लिये की जायेगी, कोई भी मदिरा परिसर पर उपभोग नहीं की जायेगी।
4. किसी भी व्यक्ति को 180 मि.ली. की एक मानक पौवा बोतल से कम मात्रा की बिक्री नहीं की जायेगी। 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की जायेगी।
5. विहित तीव्रता और मात्रा की विदेशी मदिरा की मुहरबंद बोतलों अर्थात् क्वार्ट, अद्वा और पौवा में बिक्री की जायेगी और जिन पर शुल्क के भुगतान के रूप में सुरक्षा होलोग्राम या सुरक्षात्मक होलोग्राफिक शृंक स्लीव लगे हुए होंगे।
6. लायसेंसधारी विहित रजिस्टर में नियमित और सही सही दैनिक हिसाब रखेगा और जब कभी सक्षम निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा मांग जायेगा तो लेखा रजिस्टर को प्रस्तुत करेगा और निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित सामग्री और दस्तावेजों को उपलब्ध करायेगा।
7. लायसेंसधारी विदेशी मदिरा के संपूर्ण स्टाक का भंडारण केवल अनुज्ञापित परिसर में ही करेगा।
8. (क) लायसेंसधारक को महिने के अंत तक लायसेंस प्राधिकारी द्वारा नियत की गई संपूर्ण न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत मात्रा को उठाना होगा। महिने के अंतिम कार्य दिवस को बिना उठाये गये मात्रा को समपूर्त कर लिया जायेगा।
(ख) विदेशी शराब की निर्धारित संपूर्ण मासवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के लिये उद्ग्रहणीय सभी करों, शुल्कों, उपकरों को सम्मिलित करते हुए मदिरा के लागत मूल्यों का भुगतान कर मांग पत्र मास की 25 तारीख तक थोक लायसेंसधारी को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
(ग) यदि फुटकर लायसेंस धारक उपरोक्तानुसार माह के 25 तारीख तक मांग पत्र प्रस्तुत करने में विफल होता है तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तुरन्त मामले की रिपोर्ट लायसेंस प्राधिकारी को करेंगे। जो निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से कम उठाई गई प्रत्याभूत मात्रा रु. 150/- प्रति पूफ लीटर तक की शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे व अधिरोपित शास्ति के तुल्य धनराशि को प्रतिभूति से समायोजित करते हुए लायसेंसधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि अनुज्ञापि क्यों न निरस्त कर दी जाय। यदि अनुज्ञापि निर्धारित अवधि के अन्दर प्रतिभूति राशि को पूर्ण करने में असफल होता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसका अनुज्ञापन स्वतः निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत लायसेंस प्राधिकारी दुकान की पुनर्व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
9. लायसेंसधारी दुकान के प्रवेश द्वार पर एक सहन दृश्य साईनबोर्ड लगायेगा जिसके उपर लायसेंसधारी का नाम, पद विदेशी मदिरा का अनुज्ञापित फुटकर विक्रेता, दुकान की अवस्थिति, लायसेंस की अवधि, और लायसेंस प्राधिकारी द्वारा यथा विहित अन्य सूचनायें भी मोटे अक्षरों में मुद्रित की जायेगी।
10. लायसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को विक्रेता के रूप में सेवायोजित नहीं करेगा जो 21 वर्ष से कम आयु का हो या जो किसी संक्रामक रोग और छुआछूत रोग से ग्रस्त हो या अपराधिक पृष्ठभूमि का हो या महिला हो।
11. लायसेंसधारी किसी भी व्यक्ति को निर्धारित आधिपत्य की सीमा से अधिक विदेशी मदिरा नहीं बेचेगा।
12. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति या वर्दी में किसी सरकारी कर्मी को मदिरा की बिक्री नहीं करेंगे।
13. लायसेंसधारी द्वारा किसी भी दशा में बोतलों और उनके लेबलों, सुरक्षा होलोग्राम/शृंक स्लीव, पिलफर, प्रूफकैप, (चोरी रोधक ढक्कनों) या मुहरों से बिगड़ करना, बिक्री करना सर्वथा निषिद्ध है।
14. लायसेंसधारी अपने अनुज्ञापित परिसर में कोई भी दुग्ध शर्करा (चाशनी) रंग सुगंधि/अर्क होलोग्राम/शृंक स्लीव, लेबल, कैपसूल, मुहर या कोई अन्य अपायकर (हानिकारक) सामग्री नहीं रखेगा।
15. सिवाय लायसेंसधारी/विक्रेता और उनके परिजन द्वारा परिसर जिसमें दुकान स्थित है का प्रयोग आवास के स्थान के रूप में नहीं किया जायेगा।

16. लायसेंसधारी द्वारा अपना बिक्री बद्दाने के लिये खरीदारों को प्रतोभन देना या आकर्षित करना सर्वथा निषिद्ध है। दयुतः नृत्य कार्यक्रम कराना भी सर्वथा निषिद्ध है।
17. अनुज्ञापित परिसर 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस), होली, मोहर्म और 3 ऐसे अतिरिक्त दिनों जैसे कि लायसेंस प्राधिकारी द्वारा बंद के लिये अधिसूचि किया जाय, को छोड़कर बिक्री के लिये सभी दिनों 10.00 प्रातः से लेकर 10.30 बजे तक खुला रहेगा। लायसेंस प्राधिकारी सुसंगत विधियों के अधीन कानून व्यवस्था या सामान्य निर्वाचन संबंधी क्रियाकलाप आदि के कारण से भी दुकान की बंद के आदेश दे सकता है। उक्त कारणों से दुकान की बंदी के लिये कोई प्रतिक्रिया देय नहीं होगा।
18. विदेशी मंदिरा की बिक्री को छोड़कर जिसके लिये की लायसेंस दिया गया है, लायसेंसधारी को अनुज्ञापत परिसर में कोई अन्य व्यवसाय चलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
19. लायसेंसधारी अनुज्ञा की समाप्ति पर अतिशेष स्टाक के निस्तारण के लिये लायसेंस प्राधिकारी का रिपोर्ट करेगा, जिसे नियम 18 के अनुसार निस्तारित किया जायेगा।

दिनांक.....

जिला.....

लायसेंस प्राधिकारी

विदेशी मंदिरा की फुटकर बिक्री परिसर से बाहर उपभोग के लिये अनुज्ञापन हेतु

आवेदन पत्र [नियम 7 (ग)]

पंजीयकरण संख्या.....

आबकारी वर्ष.....

(कार्यालय द्वारा भरा जाये)

आवेदित दुकान का विवरण

1. जिले का नाम.....
2. दुकान का नाम..... तहसील..... थाना.....
3. अनुज्ञापन शुल्क (रु.)..... (शब्दों में)..... (अंकों में).....
4. देशी मंदिरा की वार्षिक मात्रा (ब.ली.)
5. धरोहर धनराशि (रु.)..... (शब्दों में)..... (अंकों में).....
6. प्रतिभूति धनराशि (रु.)..... (शब्दों में)..... (अंकों में).....

आवेदक का विवरण

(सह आवेदक की दशा में सह आवेदक का भी फोटो सहित क्रमांक 1 से 5 के अनुसार विवरण दिया जाये)

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. आयु..... लिंग-पुरुष/महिला

दयुत या
(महात्मा
धूसूचित
अधिकारी
की बंदी

ई अन्य

नियम

4. स्थायी पता	5. वर्तमान पता
मकान नम्बर	मकान नम्बर
मोहल्ला/ग्राम	मोहल्ला/ग्राम
थाना	थाना
तहसील	तहसील
जिला/राज्य	जिला/राज्य
दूरभाष	दूरभाष

6: जमा धरोहर धनराशि का विवरण

अ. बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर संख्या व दिनांक.....
ब. बैंक का नाम.....

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सही है। उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो मेरा/हमारा प्रार्थना-पत्र निरस्त करने योग्य होगा व धरोहर धनराशि जब्त करने योग्य होगी। यदि उपरोक्त विवरण अनुज्ञापन जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा अनुज्ञापन निरस्त करने योग्य होगा और साथ ही मेरी/हमारी लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी जब्त करने योग्य होगी। मैं/हम इस तथ्य से भिज्ज हूँ/हैं कि असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध है।

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
सतिथि

संलग्न-

1. धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट
2. आवेदक का नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र

(प्रार्थना पत्र प्राप्ति रसीद)

श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....
निवासी.....का विदेशी मंदिरा की फुटकर दुकान.....
.....हेतु प्रार्थना पत्र धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट व शपथ पत्र के साथ प्राप्त किया गया
जिसे रजिस्टर के क्रमांक.....दर दर्ज किया गया।

दिनांक

समय

जिला आबकारी अधिकारी/
सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH FINANCE, COMMERCIAL TAX, PLANNING, ECONOMIC AND
STATISTICS DEPARTMENT MANTRALAYA, RAIPUR

Raipur the 23rd May 2001

NOTIFICATION

No. F 10-49/2001/CT/V (15)- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 18 read with clause (d) (e) (f) (g) (h) of sub section (2) of section 62, of Chhattisgarh Excise Act, 1915

(No. II of 1915), the State Government makes the following rules for the settlement of foreign liquor shops in the revenue districts Raipur, Durg, Rajnandgaon, Dhamtari and Mahasamund which were published previously as required by sub section (3) of section 62, in Chhattisgarh Gazette.

1. Short title and commencement-

- (i) These rules may be called the "Chhattisgarh Excise Settlement of Licences for retail sale of foreign liquor (in district Raipur, Durg, Rajnandgaon, Dhamtari and Mahasamund) Rules 2001."
- (ii) These shall come into force from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions- In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

- (a) "Act" means the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), as amended from time to time.
- (b) "Foreign Liquor" means and includes spirit or liquors imported into India or spirit or liquors made in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India and includes Malt Spirit, Whisky, Rum, Brandy, Gin, Vodka and Liqueur.
- (c) "Excise year" means the financial year commencing from 1st April to 31st March of the calendar year :
- (d) "Family" means and includes spouse (husband or wife), son (s), unmarried daughter (s) and dependent parents.
- (e) "Form" means the form appended to these rules.
- (f) "Licensing authority" means the Collector of the District ;
- (g) "Licence fee" means a sum fixed in consideration of the grant of the licence for exclusive privilege for selling of foreign liquor in a retail shop under clause (ii) of subsection 2 of section 62 of the Act as fixed by the State Government from time to time for the whole excise year or part thereof which shall be fixed on the basis of its location in the areas of Municipal Corporation, Municipal Committee, Nagar Panchayat & Rural area.
- (h) "Minimum month wise guaranteed quantity", means the quantity of foreign liquor as fixed by the licensing authority in accordance with the general or specific instructions issued by the Excise Commissioner and guaranteed by the licensee to be lifted by him for his retail shop in a month of an excise year for the purpose of retail sale which shall be fixed for any foreign liquor shop on the basis of maximum lifting in a district during last five years after making necessary increase/decrease.
- (i) "Annual Quantity" means the sum total of the month wise guaranteed quantity of an excise year;
- (j) "Security amount" means a sum equal to 1/12 the part of total payable duty calculated at the rate of Rs. 150/- per/proof litre of spirit and Rs. 10/- per bottle of Beer to be deposited in cash in Government Treasury as interest free security, refundable after the final settlement of all the claims and dues to the state Government.

3. Settlement of Licences for retail sale-

- a. Subject to the provision of these rules and subject to the payment of licence fee and security amount, the retail shop for sale of foreign liquor shall be settled or resettled by fixed fee system as specified herein.
- b. The licence shall be granted in the Form F.LI-D for retail sale of foreign liquor in sealed bottles.

4. Power to fix the number and location of retail shops- Number of shops shall be fixed by the licensing authority under general or specific instructions issued by the state government or by the Excise Commissioner from time to time. Location of shop shall be as per the provisions of rule (1) of rules of general application framed under the Act.

5. Period of Licence- The period of licence shall be for an excise year or part thereof for which the licence has been granted. The licence may be renewed on such terms and conditions as may be decided by the State Government.

6. Payment of Licence fee & Security Amount- The licence shall be granted on payment of licence fee and deposit of the security amount.

7. Application for grant of licence-

- (a) Whenever a new licence is proposed to be granted in an area or locality, the licensing authority shall invite the applications for this purpose after giving wide publicity through daily newspapers having circulation in that area.
- (b) A list of the retail shops of foreign liquor for which the Collector proposes to grant licence, shall be exhibited along which shopwise licence fee and security amount at the Collector's office, Tehsil Office and the office of the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise of

8. Eligibility

fulfil following

(a) Be

A

(b) Be

all

(c) No

of

(d) Su

(1) Th

fo

(2) Th

or

(3) Th

cc

Si

ar

(4) Th

of

ch

lic

5. Th

m

21

6. Th

re

(c) Furnis

fr

by

st

ap

9. District

re

(i) TI

O

D

E

(iii) TI

A

10. Select

a. TI

re

b. TI

ap

fo

ar

fc

st

c. In

a

d. Li

w

11. State

of the licens
Officer/Asstt.

the district.

(c) Application for grant of licence shall be made in the prescribed form as appended to these rules.

(d) The last date to be fixed for the receipt of application shall not be earlier than seven days with effect from the date of publication of the advertisement in a newspaper.

8. Eligibility Conditions for applicants- Eligible applicants for licence of a retail foreign liquor must fulfil following condition namely-

(a) Be a citizen of India
or
A partnership firm whose partners are citizens of India. No change in partnership shall be allowed after the settlement of shops.

(b) Be above 21 years of age.

(c) Not be a defaulter/blacklisted or debarred from holding an excise licence under the provisions of any rules made under the Act.

(d) Submits an affidavit duly verified by public notary as proof of the following namely-

- (1) That the possesses or has an arrangement for taking on rent a suitable premise in that locality for opening the shop in accordance with the rules;
- (2) That his proposed premise of the shop have not been constructed in violation of any law or rules;
- (3) That he posses good moral character and have no criminal background and have not been convicted of any offence punishable under the Act or Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act. 1985 or any other law for the time being in force, or any other cognizable and non-bailable offence;
- (4) That in case he is selected as licensee he will furnish a certificate issued by Superintendent of Police of the district of which he is the resident, showing that he possess good moral character and have no criminal background or criminal record, within thirty days of grant of licence;

5. That he shall not employ any salesman or representative who has criminal background as mentioned in clause (III) or who suffer from any infectious or contagious disease or is below 21 years of age or a woman;

6. That he is not in arrear of any Government dues.

(c) Furnish a bank draft drawn in favour of the District Excise Officer or Asstt. Commissioner issued from a nationalised Bank as earnest money. The amount of earnest money shall be as fixed by the Excise Commissioner. In case the applicant is selected as licensee, the earnest money shall be adjusted against the licence fee. In other cases it shall be returned as such to the applicant as soon as the selection process is over.

9. District level committee- There shall be a district level committee for selection of licensees for retail sale of foreign liquor. The committee shall consists of the-

(i) The Collector of the District	Chairman
(ii) One Gazetted Office of Excise Department nominated by the Excise Commissioner	Member
(iii) The District Excise Officer/ Asstt. Excise Commissioner of the District	Member/ Secretary

10. Selection of Licensee-

- a. The District Excise Officer/Asstt. Excise Commissioner shall prepare a list of all applications received with summary report to be put before the district level committee for licencing.
- b. The said committee shall select licensees from the list of applicants. In case more than one applicant are found suitable for any particular shop, the committee shall select the licensee for such shop by public lottery. In case the selected applicant does not deposit the required amount and does not fulfil the prescribed formalities or is unable to arrange suitable premises for the shop within stipulated period, the licensing authority shall cancel the allotment and take steps for resettlement of the shop.
- c. In case there is no application for a particular shop or no candidate is found suitable for a shop, the licensing authority shall take immediate steps for resettlement of the shop.
- d. Licensing authority shall have the right to reject applications received for a shop or shops without assigning any reasons.

11. Statement of Settled shops- As statement of the settled shops alongwith names and addresses of the licensees, details of security amount and licence-fee deposited shall be sent by the District Excise Officer/Asstt. Commissioner Excise to the Excise Commissioner within 15 days of the settlement

12. Payment of Licence-fee and security amount- In case an applicant is selected as licensee, he shall deposit the entire amount of license fee and the security amount within 3 days of being informed of his selection. If he fails to deposit the amount of licence fee and security amount within prescribed period, his selection shall stand cancelled and his earnest money shall be forfeited in favour of the state Government and the said licensee shall be debarred from holding any excise licence in future anywhere in the state. A consolidated list of such defaulters under this rule, along with their complete address shall be forwarded by the District Excise officer/Asstt. Commissioner to the Excise Commissioner, who will circulate the consolidated list of the state to all licensing Authorities the state.

13. Lifting of liquor-

- a. The licensee under these rules shall obtain supplies of foreign liquor from any wholesale licensee after making full payment of cost price of foreign liquor including all taxes, duties and cess as levied from time to time. The licensee shall place indent at-least 72 hours in advance to the wholesale licensee from whom he intends to procure the supply of foreign liquor.
- b. The wholesale licensee/supplier with whom the indent has been placed shall record the date and time of receipt of indent and shall ensure supply of the desired quantity of liquor within 48 hours of the receipt of indent.

14. Lifting of minimum Guaranteed Quantity fixed for the month and consequences of failure-

- (a) The licensee is liable to lift the entire minimum monthwise guaranteed quantity during a month. The licensee shall make indent for the entire minimum monthwise guaranteed quantity fixed for that month along with cost of foreign liquor including all duties taxes and cess, which must be submitted to wholesale licensee by 25th day of the month.
- (b) In case the retail licensee fails to submit the indent as per clause (a) the District Excise Officer/Asstt. Commissioner shall immediately report the matter to the licensing authority, who shall take action to impose penalty on the amount of guaranteed quantity less lifted than the fixed monthly guaranteed quantity at the rate of rupees 150/- proof litre and shall adjust the amount equal to the imposed penalty from the security amount and issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the licence should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period, the licence shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate steps to resettle the shop.

15. Lifting of foreign liquor in excess of minimum monthwise guaranteed quantity- The licensee may lift in excess of monthwise minimum guaranteed quantity for the month with the permission of the District Excise Officer/Asstt. Commissioner and on payment of additional excise duty as may be prescribed.

16. Minimum retail Price- The minimum retail price as may be fixed by Excise Commissioner on approval of the State Government, shall be printed on the label of bottles of foreign liquor. The licensee shall not charge from consumers less than the minimum retail price as may be fixed by the Excise Commissioner on approval of the State Government.

17. Hours of sale and closure of shops- The licenced premises shall remain open for sale on all days from 10.00 am to 10.30 p.m. except on 15th August (independence day) 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) Holi and Moharrum and upto 3 more days as notified for closure by the licensing Authority. Licensing authority may also order for closure of shop on account of law and order or General Election related activity under the provisions of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above grounds.

18. Disposal of Balance stock left at the expiry of the Licence- Any balance of foreign liquor found outstanding and unsold at the expiry of the term of licence shall be declared by the licensee to the licensing authority on the next day and shall be returned by him to the concerned wholesale/supplier/shop(s) of the district by 5.00 pm of the next date of expiry of licence, the licensee shall be entitled to get the refund of cost price only, excluding duty and other taxes. The disposal of such stock shall be made as per orders of the Excise Commissioner in this regard.

19. Surrender of licence- A licensee may surrender his licence after giving atleast one month's notice in writing to the licensing authority under provisions of section 33 of the Act. On receipt

of such
dues fro
Commis:
delay fo

20. S

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

21. F
comme
F
of fore

Licence
Locality.
Licence

Annual
Minimu

SL. N

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

of such application the licensing authority will take steps for recovering all outstanding excise dues from his security deposit and refund the balance amount after obtaining orders of the Excise Commissioner. The licensing authority shall also proceed for resettlement of the shop without delay for the remaining period of the excise year.

20. Suspension and cancellation of the licence and penalties- (i) Licensing authority may suspend or cancel the licence-

- (a) If any bottle is found in the licensed premises on which duty has not been paid and which does not carry security hologram duly approved by the Excise Commissioner as a proof of payment of duty ;
- (b) If any other kind of liquor or intoxicating drug (for which licence is not granted) is found in the licensed premises ;
- (c) If the affidavit submitted by the licensee at the time of application is found incorrect and assertions made therein are found to be false ;
- (d) If the licensee is convicted of any offence punishable under the Act or any other law for the time being in force relating to revenue, or any cognizable and non bailable offence, or any offence punishable under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 or of any offence punishable under sections 482 to 489 of the Indian Penal Code.
- (e) If any bottle is sold below the minimum rate as prescribed by Excise Commissioner under rule 16.
- (f) If the licensee fails to lift the minimum monthwise guaranteed quota and also fails to replenish the shortfall in security deposit within the period prescribed, consequent to the imposition of penalty.

2. The licensing authority shall immediately suspend the licence and forfeit the security deposit on above mentioned grounds. The licensing authority will also serve a show cause notice for cancellation of licence and the licensee shall submit his explanation within 7 days of the receipt of the notice. Thereafter the licensing authority will pass suitable orders after giving due opportunity of hearing to the licensee, if he so desires.

3. The licensee shall not be entitled to claim any compensation or refund for suspension or cancellation of licence under the rules.

4. In case the licence is cancelled on the above mentioned grounds the licensee may also be blacklisted and debarred from holding any excise licence in future.

21. Repeal and Saving- (i) All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed irrespective of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be valid in respect of foreign liquor shop/shops for the financial year 2001-2002.

F.L. 1- D
Rule 3

Licence for the retail sale of foreign liquor in sealed bottles for

Licence No.....

Locality.....

Licence fee Rs.(in figures)

District.....

.....(in words)

Annual Quantity-

Minimum monthwise guaranteed quantity.

SL. No. Month Minimum Month wise guaranteed quantity

1.	April	8.5% annual Quantity
2.	May	8.5 --"--
3.	June	8.5% --"--
4.	July	7.5%--"--
5.	August	7.5%--"--
6.	September	7.5% --"--
7.	October	8.5% --"--
8.	November	8.5% --"--
9.	December	9.0% --"--
10.	January	9.0% --"--
11.	February	9.5% --"--
12.	March	9.5% --"--

Description of Premises (with boundaries)

North.....
 South.....
 East.....
 West.....

Name, Father's Name and Address of Licensee (s)

1.....s/o.....r/o.....
 2.....s/o.....r/o.....

9.

Name, Father's Name and Address of Salesmen

1.....s/o.....r/o.....
 2.....s/o.....r/o.....
 3.....s/o.....r/o.....
 4.....s/o.....r/o.....

10.

11.

12.

Licence for the retail sale of foreign liquor in standard quart pint and nip bottles is hereby granted to above licence holder(s), at.....(place) in P.S.Tahsil.....in the District of.....w.e.f. from.....to March 31, 20.....for which licence fee and security deposit has been paid in accordance with rule 6.

The Licence is subject to the following special and general conditions :- the infraction of any of which or a conviction for any offence under the Chhattisgarh Excise Act 1915 or Narcotic, Drugs and Psychotropic substances Act. 1985 shall make the licensee(s) liable for cancellation of the licence and forfeiture of security deposit in addition to any penalty imposed under the relevant laws.

GENERAL AND SPECIAL CONDITIONS

1. The licensee can obtain supply of the foreign liquor from the wholesale foreign liquor licensee (FL-1O) after making full payment of price of liquor including all taxes, duties, cess etc. leviable from time to time.
2. The retail licensee shall not charge less than the minimum retail price as fixed under rule 16.
3. Sales at the licensed premises shall be made only for consumption "Off" the premises. No liquor shall be consumed/drunk "On" the premises.
4. No quantity less than one standard Nip bottle of 180 ml of liquor shall be sold to any person. No sale shall be made to a person below the age of 18 years.
5. The sales shall be made in sealed bottles i.e. quarts, pints and nips of foreign liquor of prescribed strength and quantity and which carry security Hologram or security Holographic shrink Sleeves approved by Excise Commissioner as proof of payment of duty.
6. The licensee shall maintain a regular and accurate daily account in the prescrbed register and the account register shall be produced for inspection whenever asked by the competent inspecting authority. The licensee shall also furnish account of sales etc. and facilitate and provide the material and documents required by the inspecting authority
7. The licensee shall store entire stock of foreign liquor in the licensed premises only.
8. a. The licensee is liable to lift the entire minimum month wise guaranteed quantity during that month only. The quantity left unlifted on the last working day of the month shall be forfeited.
 b. The indent for the entire minimum guaranteed Quantity of foreign liquor fixed for the month along with cost of liquor including all duties, taxes and cess must be submitted to the wholesale lincee by 25th day of the month.
 c. In case the ratail licensee fails to submit the indent by 25th day of the month as above the District Excise officer/Asstt. Commissioner Excise shall immediately report the matter to the licensing authority, who shall take action to impose penalty on the amount of guaranteed

quantity less lifted than the fixed monthly guaranteed quantity at the rate of rupees 150/- proof litre and shall adjust the amount equal to the imposed penalty from the security amount and issue a notice to the licensee to replenish the shortfall in security amount within a week and also show cause as to why the licence should not be cancelled. If the licensee fails to deposit the amount of deficit in security amount and does not furnish suitable explanation within the stipulated period, the licence shall stand cancelled and the licensing authority shall take immediate steps to resettle the shop.

The licensee shall affix a conspicuous signboard at the entrance to the shop on which the name of the licensee, designation "Licensed Retail Vendor of Foreign Liquor" location of the shop, period of licence and such other information as prescribed by licensing authority in bold letters shall be printed.

The licensee shall not employ any person as salesman who is below 21 years of age or is suffering from any infectious and/or contagious disease, or has criminal back ground.

The licensee shall not sell to any person more than prescribed limit of foreign liquor.

The sale should not be made to a person below the age of 18 years, police personnel below the rank of sub-inspector or to a soldier or official in uniform.

The licensee is strictly forbidden under any pretext whatsoever from tampering with bottles, pints and nips, their labels, security Hologram/Shrink sleeve. Pilfer proof seals.

The licensee shall not keep in his licensed premises any spirit, caramel, colour, essence, hologram/Shrink Sleeve, labels, capsules, seals or any other noxious material.

The premises in which the shop is situated shall not be used as a place of residence except by the licensee/salesman and his family.

The licensee is strictly forbidden from having recourse to any form of baladishment or in document to the customer with a view to increase his sales. Gambling and dance programme are strictly forbidden.

The licensed premises shall remain open for sales on all days from 10.00 am to 10.30 pm. except on 15 August (independence Day), 2nd October (Gandhi Jayanti), 26th January (Republic Day) 30th January, (Mahatma Gandhi, Nirwan Diwas), Holi, Moharram and upto 3 more days as notified for closure by the licensing authority. Licensing authority may also order closure of shop on account of law and order or general election, related activity etc. under the provision of relevant laws. No compensation shall be given for the closure of shop on above dates/days.

The licensee shall not be allowed to carry on any other business on the licensed premises except sale of foreign liquor for which licence is granted.

The licensee shall on expiry of the licence, report to the licensing authority for disposal of balance of balance stock which will be disposed off in accordance with rule 18.

e :
rict

Licensing Authority

Application for the grant of licence for Retail Sale of Foreign Liquor

(for consumption "Off" the premises) in form FL- I D)

[Rule 7(c)]

Registration No.

be filled by the office)

Excise Year.....

Details of the shop applied for

Name of the District

Name of the shop..... Tahsil..... P.S.

3. Licence Fee (Rs.) (in word) (in figure)
 4. Annual Quantity (in word) (in figure)
 5. Earnest Money (Rs.) (in word) (in figure)
 6. Security Amount (Rs.) (in word) (in figure)

Details of the applicant

(In case of co-applicant photograph of co-applicant and details at serial no. 1 to 5 be also given)

1. Name of the Applicant
 2. Father's/Husband's Name
 3. Age Sex : Male/Female
 4. Permanent address
 House No. and Locality/Village
 Police Station
 Tehsil
 Distt.
 State
 Telephone No.
 5. Present address
 House No and Locality/Village
 Police Station
 Tehsil
 Distt..
 State
 Telephone No.
 6. Details of the earnest money deposited
 a. Bank Draft No. and Date
 b. Name of Bank
 The above information is true to the best of my/our knowledge. In the event of above information being found incorrect, my/our application shall be liable to be rejected and earnest money shall be liable to be forfeited. If above details are found to be incorrect subsequent to the grant of licence it shall render my/our licence liable for cancellation and forfeiture of licence-fee and security deposit made by me/us. I/we am/are aware that submission of false or incorrect information is a penal offence.

Signature(S) Thumb impression(s) of the applicant(s)

ANNEXURE

Affidavit duly verified by Public Notary (Acknowledgement receipt)

Received application from Shri/smt./ku. s/o
 w/o, d/o r/o
 foreign liquor shop along with affidavit and bank draft for earnest money and entered in the register at serial number.

Date :
 Time :

Signature of person authorizes by
 District Excise Officer/
 Asstt. Commissioner Excise
 District.....

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
 K. R. MISHRA. Deputy Secretary.